

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 10/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ग्य :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

बनाम

श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री सतीश गुप्ता अग्रवाल उम्र 20 वर्ष जाति गुप्ता निवासी भैरू पाडा वार्ड नं0 20 अन्ता जिला बारों (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) मैसर्स सेठी ब्रदर्स, रेल्वे स्टेशन रोड अन्ता जिला बारों।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंग्य)

2- श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.08.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ग्य श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.09.2018 को मैसर्स सेठी ब्रदर्स, रेल्वे स्टेशन रोड अन्ता जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री सतीश गुप्ता अग्रवाल (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 07.09.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट में विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ Roasted Bread (Swastik) में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री सतीश गुप्ता अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 100/- (अक्षरे सौ रूपये) रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम के पैकेटो को चार नमूना भाग में अलग-अलग कर मूल पैकेट कार्टून में डालकर पैक किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-847 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-847 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेंविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री सतीश गुप्ता अग्रवाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/187 दिनांक 12.10.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 545/FSSA/Kota/Act/2018/590 दिनांक 27.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स सेठी ब्रदर्स, रेल्वे स्टेशन रोड अन्ता जिला बारों से पत्रांक 218 दिनांक 19.11.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया एवं अग्रिम अन्य कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 08.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्जे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ **Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट** क्रय कर विक्रय किये जाते है। जिसका पक्का बिल अप्रार्थी के पास नही होने के कारण कम्पनी को पार्टी नही बनाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ जांच में मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। जिसमें अप्रार्थी की किसी प्रकार की कोई गलती नही है। चूंकि उक्त खाद्य पदार्थ की पैकिंग का कार्य अप्रार्थी द्वारा नही किया जाता है, कम्पनी द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 545/FSSA/Kota/Act/2018/590 दिनांक 27.09.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्जे पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **Roasted Bread (Swastik) 320 ग्राम पैकेट** जांच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थी को 10,000/-रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जर्जे चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

